भारत सरकार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
नीति एवं योजना प्रभाग
"एनडीएमए भवन", ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली – 110029.

सं० 02/285/प्रचालन/2020 दिनांक : 31 मार्च, 2020

सेवा में

1. सीईओ/उपाध्यक्ष
   राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)
   (संलग्न सूची के अनुसार)
2. राज्य राहत उपायुक्त
   (संलग्न सूची के अनुसार)

विषय :– कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए एनजीओ/सीएसओ के साथ समन्वय।

संदर्भ :– पत्र संख्या 1–147/2018–प्रशमन II दिनांक 5 मार्च, 2020

महोदय/महोदया,

कोविड–19 की उभरती खतरनाक आपदा की स्थिति को देखते हुए, उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनुराध किया गया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को समुदाय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक सोसाइटी संगठन (सीएसओ) के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने का निर्देश करें।

2 आपको यह सूचित करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या एनजीओ/सीएसओ के साथ समन्वय बैठकें जिला स्तर पर की गई थी और एनजीओ समन्वय सेल सक्रिय किए गए हैं। आपको यह भी सूचित करने का अनुरोध किया गया है कि एनजीओ/सीएसओ को उनकी समर्थ और क्षमताओं के आधार पर ड्यूटी दी गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि काम का कोई दोहराव (डुप्लीकेशन) नहीं हुआ है।

3 यदि, कुछ जिलों में समन्वय बैठकें नहीं हुई हैं और समन्वय सेल सक्रिय नहीं हुई हैं, तो कोविड–19 के प्रसार को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर एनजीओ/सीएसओ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तुरंत सक्रिय किया जा सकता है।

4 इस संबंध में की गई कार्यवाही को निम्नलिखित प्रारूप में प्रतिदिन सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट किया जा सकता है।

क्र.सं०	जिला का नाम	क्या एनजीओ सक्रिय समन्वय करता है	राहत शिविर, खाद्य वितरण आदि में शामिल एनजीओ की संख्या	टिप्पणी

भवदीय,

(जी.वी.वी. शर्मा)
सदस्य सचिव